सीबीईसी-20/16/04/2018-जीएसटी

भारत सरकार वित्त मत्रांलय राजस्व विभाग केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी) प्रधान महानिदेशक /महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: जीएसटी के तहत माध्यमिक या बिक्री के बाद छूट से संबंधित विभिन्न संदेहों पर स्पष्टीकरण।

परिपत्र संख्या 92/11/2019-जीएसटी दिनांक 7 मार्च, 2019 में जीएसटी के तहत बिक्री संवर्धन योजनाओं से संबंधित विभिन्न संदेहों पर स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था। उक्त परिपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् व्यापार और उद्योग जगत के द्वारा द्वितीयक छूट या बिक्री के बाद छूट के मामलों पर स्पष्टीकरण दिए जाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में कानून के कार्यान्वयन में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच की गई है, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 168 (1) के तहत (एतदपश्चात "सीजीएसटी अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा अगले पैराग्राफों में मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया है।

- 2. आपूर्ति के मूल्य के उद्देश्य से, बिक्री के बाद की छूट सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। निर्माता या थोक व्यापारी (एतदपश्चात "माल के आपूर्तिकर्ता" के रूप में संदर्भित किया है) आदि द्वारा विक्रेता को दी गई छूट की वास्तविक प्रकृति की जांच करना कठिन होता है। यह जांचना महत्वपूर्ण होगा कि क्या माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाने वाली अतिरिक्त छुट विक्रेता द्वारा किसी भी अतिरिक्त गतिविधि / प्रचार अभियान के बदले में दी जानी है।
- 3. यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के प्रावधानों की पूर्ति के अधीन रहते हुए, यदि माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा बिक्री के बाद दी गयी

छूट विक्रेता द्वारा आवश्यक किसी भी दायित्व या कार्रवाई के बिना दी जाती है, तो उक्त छूट आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल माल की आपूर्ति से संबंधित होगी, और यह माल के आपूर्तिकर्ता के हाथों में आपूर्ति के मूल्य में शामिल नहीं होगा, हालाँकि, यदि विक्रेता को माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छूट, बिक्री के बाद का प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है, जिसके तहत विक्रेता को विशेष बिक्री अभियान, विज्ञापन अभियान, प्रदर्शनी आदि जैसे कुछ कार्यों को करना होगा, तो वह लेनदेन एक अलग लेनदेन होगा और अतिरिक्त छूट इस तरह की गतिविधि करने के लिए प्रतिफल माना जाएगा और वह माल के आपूर्तिकर्ता को विक्रेता द्वारा सेवा की आपूर्ति के संबंध में होगा। विक्रेता, सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होने के नाते, इस तरह के अतिरिक्त छूट के मूल्य पर लागू जीएसटी को चार्ज करेगा और माल के आपूर्तिकर्ता, सेवाओं के प्राप्तकर्ता होने के नाते, विक्रेता द्वारा वसूले गए जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होंगे (एतदपश्चात "आईटीसी" से संदर्भित किया गया है)।

4. यह आगे स्पष्ट किया गया है कि यदि विक्रेता को माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा अतिरिक्त छूट दी जाती है जिससे विक्रेता ग्राहक को बिक्री की मात्रा बढ़ाने के लिए एक विशेष कम कीमत की पेशकश कर सके, तो माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गयी अतिरिक्त छूट को विक्रेता द्वारा ग्राहक को की गयी आपूर्ति के संबंध में प्रतिफल माना जायेगा । सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार यह अतिरिक्तित छूट जो कि प्रतिफल के रूप में, किसी व्यक्ति द्वारा विक्रेता को देय है (इस मामले में माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा) को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल में जोड़कर विक्रेता के हाथों में आपूर्ति के मूल्य को जात किया जा सकेगा, ग्राहक यदि पंजीकृत है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार जितना कर ग्राहक द्वारा विक्रेता को दिया गया है केवल उसी मात्रा में ग्राहक आईटीसी का दावा करने का पात्र होगा ।

5. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई बिक्री के बाद की छूट को सीजीएसटी अिधनियम की धारा 15 की उपधारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण उक्त आपूर्तिकर्ता के हाथों में आपूर्ति के मूल्य से बाहर रखने की अनुमित नहीं है। पिरपत्र संख्या 92/11/2019-जीएसटी दिनांक 7 मार्च, 2019 में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि माल के आपूर्तिकर्ता ऐसे मामलों में वितीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं लेकिन वह अपनी मूल कर देयता को कम करने के लिए पात्र नहीं होंगे। संदेह इस बात के लिए उठाया गया है कि क्या विक्रेता माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए कर की मूल राशि का आईटीसी लेने के लिए पात्र होगा या केवल उस राशि के निवल मूल्य पर देय कर की सीमा तक उसके द्वारा जिसके लिए ऐसे वितीय / वाणिज्यिक क्रेडिट नोट जारी किए गए हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि विक्रेता द्वारा सीजीएसटी अिधनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के साथ पठित सीजीएसटी नियमावली के नियम 37 के उपनियम (1) के दूसरे परन्तुक के प्रावधानों के अनुसार माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा वितीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट जारी किए

जाने के कारण, पोस्ट सेल पर प्राप्त की गई छुट पर जो कर का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, पर आईटीसी वापिस नहीं करना पड़ेगा, जब तक कि विक्रेता द्वारा प्राप्त वित्तीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट की शर्तों के आधार पर आपूर्ति के मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाया गया मूल कर का भुगतान पोस्ट सेल छूट को समायोजित करने के बाद कर दिया गया है।

- 6. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।
- 7. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई है, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाएगा।

(उपेंद्र गुप्ता) प्रधान आय्क्त (जीएसटी)